न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल
पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या:— 110/14

दायर दिनांक:— 09.09.2014

1— हड़मान पुत्र गायड़राम जाति राईका निवासी मूण्डी तह.जायल जिला नागौर।
2— रतनाराम पुत्र गायड़राम जाति राईका निवासी मूण्डी तह.जायल जिला नागौर।

........................प्रार्थीगण

बनाम

1— बादरराम पुत्र गुदड़राम जाति राईका निवासी मूण्डी तह.जायल जिला नागौर।
2— तहसीलदार जायल।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा 251 (ए) RT Act.

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल

उपस्थित अधिवक्ता :—
1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 12.02.18

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम मूण्डी का निवासी है ग्राम मूण्डी के खेत खसरा नम्बर 135 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 136 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सहखातेदार व खातेदार काश्तकार है। जिस के पश्चिमी दिशा में खेत खसरा नम्बर 134 अप्रार्थी का खेत आया हुआ है। जिस के पश्चिमी दिशा में कटाणी रास्ता है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के अनुशार चौड़ाई में 20 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 135 व 136 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी का उक्त रास्ते बाबत कहने पर मना करने पर प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस से मुझे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन

12.2.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

प्रमाणित प्रतिलिपि
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा मूण्डी के खसरा नम्बर 134 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से ब पर 20 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से बस्तीराम ने वकालतनामा व जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित पेरा संख्या 01 से 05 सही नहीं होने से अस्वीकार है अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 134 में कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 135 व 136 में खेत खसरा नम्बर 137 में से होकर आते जाते है अप्रार्थी सं. 01 गरीब व्यक्ति है उन के खातेदारी के खेत को प्रार्थीगण जबरदस्ती हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण के करीब 70–80 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि बंट में आयी हुई है इसलिये प्रार्थीगण का यह कहना गलत है प्रार्थीगण के एक भाग खेत खसरा नम्बर 135 व 136 ही है। खसरा नम्बर 135 व 136 के कांकड़ माठ से भी आते जाते है अप्रार्थी नं. 01 के खेत से अन्य खेतों से रास्ता नजदीक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा 10000 दस हजार रूपये पर खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./17/4453 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी को मौजा मूण्डी के खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा किस्म बा.3 में से नजरी नक्शा के मार्क अ से ब तक 20 फुट चोडा रास्ता दिया जाना उचित है जिस का रकबा 17 बिस्वा बनता है तथा डी.एल.सी रेट से 189363 रू. राशि बनती है खेत खसरा नम्बर 134 प्रार्थी के खेत खसर नम्बर 136 के चिपता ही खेत है इसलिये रास्ता देने की अभिशंषा की जाती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा मूण्डी के खसरा नम्बर 134 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा किस्म बा.3 में से रकबा 17 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के मार्क अ से ब के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि बराबर बराबर प्रार्थीगण से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रार्थीगण से ली जाने वाली राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 01 को करें। अप्रार्थी की भूमि एस बी बी जे, तरनाऊ के मुर्तहीन है। रास्ते

12.2.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) जायल

प्रमाणित प्रतिलिपि
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM

Scanned by CamScanner

के लिये बहुत की कम भूमि अर्थात 17 बिस्वा ही घाषित की गयी है जिस का बैंक की वसूली पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता है। तहसीलदार जायल को निर्णय की पलना हेतु तहरीर जारी हो।

12.2.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12.2.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) जायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर।

क्रमांक / रीडर / 2018 / 28 दिनांक 12.02.18

तहसीलदार जायल को निर्णय आदेश की प्रमाणित प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय के अनुशार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

12.2.18

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल,जिला नागौर

प्रमाणित प्रतिलिपि
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM